


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 553]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 8, 2015/भाद्र 17, 1937

No. 553]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 8, 2015/BHADRA 17, 1937

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2015

सा.का.नि. 685(अ).—केन्द्रीय सरकार, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 (1920 का 34) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियम, 1950 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) संशोधन नियम, 2015 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियम, 1950 के नियम 4 के उप नियम(1) के खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(जक) बंगलादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों अर्थात् हिंदू, सिक्ख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जो 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पूर्व भारत में धार्मिक उत्पीड़न या धार्मिक उत्पीड़न के भय के कारण भारत में आश्रय लेने के लिए बाध्य थे-

- (i) बिना किसी विधिमान्य दस्तावेजों के जिसके अंतर्गत पासपोर्ट या कोई अन्य यात्रा दस्तावेज भी हैं ; या
- (ii) विधिमान्य दस्तावेजों के साथ जिसके अंतर्गत पासपोर्ट या कोई अन्य यात्रा दस्तावेज भी है और ऐसे दस्तावेजों की विधिमान्यता समाप्त हो गई है:

परंतु इस खंड का उपबंध राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।"

[फा. सं. 25022/50/2015-एफ.1]

जी. के. द्विवेदी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम संख्यांक 4/5/49-एफ.आई, तारीख 25 अप्रैल, 1950 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि. संख्यांक 132(अ), तारीख 26 फरवरी, 1992 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 2015

G.S.R. 685(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Passport (Entry into India) Act, 1920 (34 of 1920), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passport (Entry into India) Rules, 1950, namely:-

1. (1) These rules may be called the Passport (Entry into India) Amendment Rules, 2015.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Passport (Entry into India) Rules, 1950, in rule 4, in sub-rule (1), after clause (h), the following clause shall be inserted, namely:-

“(ha) persons belonging to minority communities in Bangladesh and Pakistan, namely, Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians who were compelled to seek shelter in India due to religious persecution or fear of religious persecution and entered into India on or before the 31st December, 2014-

- (i) without valid documents including passport or other travel documents; or
- (ii) with valid documents including passport or other travel document and the validity of any of such documents has expired:

Provided that provision of this clause shall take effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.”

[F. No. 25022/50/2015-F.I.]

G. K. DWIVEDI, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published vide number 4/5/49-F.I, dated the 25th April, 1950 and last amended vide number G.S.R. 132(E), dated the 26th February, 1992.

आदेश

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2015

सा.का.नि. 686(अ).—केन्द्रीय सरकार, विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 (1946 का 31) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विदेशियों विषयक आदेश, 1948 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विदेशियों विषयक (संशोधन) आदेश, 2015 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. विदेशियों विषयक आदेश, 1948 के पैरा 3 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(3क) **विदेशियों के कतिपय वर्ग को छूट-** (1) बंगलादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों अर्थात् हिंदू, सिक्ख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जो 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पूर्व भारत में धार्मिक उत्पीड़न या धार्मिक उत्पीड़न के भय के कारण भारत में आश्रय लेने के लिए बाध्य थे-

(क) बिना किसी विधिमान्य दस्तावेजों के जिसके अंतर्गत पासपोर्ट या कोई अन्य यात्रा दस्तावेज भी हैं और जो पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 (1920 का 34) की धारा 3 के अधीन बनाए गए पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियम, 1950 के नियम 3 के उपबंधों से नियम 4 के अधीन छूट प्राप्त हैं; या

(ख) विधिमान्य दस्तावेजों के साथ जिसके अंतर्गत पासपोर्ट या कोई अन्य यात्रा दस्तावेज भी है और ऐसे दस्तावेजों की विधिमान्यता समाप्त हो गई है,

विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 और, यथास्थिति, ऐसे दस्तावेजों के बिना या उन दस्तावेजों की समाप्ति के पश्चात् भारत में उनके रहने के संबंध में उनके अधीन किए गए आदेशों के उपबंधों के लागू होने से राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से छूट प्रदान की जाती है।"

[फा. सं. 25022/50/2015-एफ. I.]

जी. के. दिवेदी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, में सं. 9/9/46 राजनीतिक, (ईडब्ल्यू) तारीख 14 फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया था और अंतिम संशोधन सा. का. नि. सं. 56(अ), तारीख 24 जनवरी, 2008 द्वारा किया गया।

ORDER

New Delhi, the 7th September, 2015

G.S.R. 686(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Foreigners Act, 1946 (31 of 1946), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Foreigners Order, 1948, namely:—

1. (1) This Order may be called the Foreigners (Amendment) Order, 2015.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Foreigners Order, 1948, after paragraph 3, the following paragraph shall be inserted, namely:—

“3A. **Exemption of certain class of foreigners.**- (1) Persons belonging to minority communities in Bangladesh and Pakistan, namely, Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians who were compelled to seek shelter in India due to religious persecution or fear of religious persecution and entered into India on or before the 31st December, 2014-

(a) without valid documents including passport or other travel documents and who have been exempted under rule 4 from the provisions of rule 3 of the Passport (Entry into India) Rules, 1950, made under section 3 of the Passport (Entry into India) Act, 1920 (34 of 1920); or

(b) with valid documents including passport or other travel document and the validity of any of such documents has expired,

are hereby granted exemption from the application of provisions of the Foreigners Act, 1946 and the orders made thereunder in respect of their stay in India without such documents or after the expiry of those documents, as the case may be, from the date of publication of this order in the Official Gazette.”

[F. No. 25022/50/2015- F.I]

G. K. DWIVEDI, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India vide No.9/9/46-Political (EW), dated the 14th February, 1948 and last amended vide number GSR 56(E), dated the 24th January, 2008.